न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

उपस्थित–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

I.D UP-5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1233 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2657 / 2026

CNR UPLP 0100 5643 2026

1. पारस सिंह पुत्र साहब सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष,

2. देवेन्दर सिंह पुत्र साहब सिंह उम्र लगभग 26 वर्ष,

निवासीगण ग्राम सुथना बरसोला, थाना तिकोनिया, जिला लखीमपुर–खीरी।

3. सारज सिंह पुत्र चंचल सिंह उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम दाराबोझी, थाना तिकोनियां, जिला खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–209 / 2026

धारा 8 / 18(बी), 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना निघासन, जिला लखीमपुर खीरी।

20.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्तगण पारस सिंह, देवेन्दर सिंह तथा सारज सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं0–209 / 2026 धारा 8 / 18(बी), 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना निघासन, जिला–लखीमपुर–खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनॉक–03.06.2026, को प्रभारी निरीक्षक अवधराज सिंह सेंगर मय हमराही उपनिरीक्षक राजवीर सिंह, उपनिरीक्षक आदित्य कुमार यादव, कॉ0 प्रशान्त तेवतिया, कॉ0 आशुतोष गुप्ता, कॉ0 प्रभात सिंह, कॉ0 कुलदीप कुमार, कॉ0 सुरेन्द्र दुबे, कॉ0 संजय यादव के मय वाहन सरकारी नम्बर यू0पी0 31 जी 0638 चालक कॉ0 गौरव सिंह के वास्ते देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी में मामूर होकर ग्राम सहते पुरवा मोड़ के सामने निघासन सिंगाही रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रहा था कि एक कार सिंगाही की ओर तेजी से आती हुयी दिखायी दी, कार के नजदीक आने पर टार्चों की रोशनी से इशारा कर रोका गया और नाम

पता पूॅछते हुये तलाशी लेना शुरू किया गया कि कार में सवार सभी छः लोगों ने एक स्वर में कहा कि उनके पास बैग में अफीम है। कार सवार सभी व्यक्ति को कार की तलाशी व उनकी जामातलाशी हेतु बताया गया कि आपकी तलाशी आपकी सहमति के साथ राजपत्रित अधिकारी के समक्ष की जायेगी, जिस पर सभी लोग तैयार हो गये एवं सभी ने सहमति दी। अतः सहमति पत्र तैयार कर सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये। तत्पश्चात् प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी निजी मोबाइल नम्बर 7905555342 से क्षेत्राधिकारी निघासन श्री शिव कुमार के निजी मोबाइल नम्बर 9084774466 पर कॉल करके घटना के बारे में बताया तथा तलाशी हेतु मौके पर आने का अनुरोध किया गया तब तक कार को पुलिसजनों ने चारो ओर से घेरकर रखा। क्षेत्राधिकारी निघासन के समय 03:52 बजे मौके पर आने पर गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया तो नावक्त होने के कारण कोई व्यक्ति आता–जाता मौजूद नहीं मिला कि बामजबूरी सभी पुलिस जनों ने एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर यकीन किया कि जुर्म से संबंधित किसी के पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है। मौके पर कार सवार सभी छः व्यक्तियों को बारी–बारी कार से उतारकर नाम, पता पूॅछते हुये जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सुबेग सिंह उर्फ काला बताया, जिसकी जामातलाशी से एक अदद मोबाइल रेडमी व 500 रूपये नगर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम सारज सिंह बताया, जिसकी जामातलाशी से उसे मोबाइल सैमसंग बरामद हुये। तीसरे ने अपना नाम पारस सिंह बताया, जिसकी जामातलाशी से एक अदद मोबाइल मोटोरोला कम्पनी का व दूसरा मोबाइल टेक्नो कम्पनी का बरामद हुआ तथा 500/–रू0 बरामद हुये। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम गुरूनैब सिंह बताया, जिसकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल ओप्पो व 120/–रू0 नगद बरामद हुये। पॉचवे व्यक्ति ने अपना नाम देवेन्दर सिंह बताया, जिसकी जामातलाशी से आईफोन बरामद हुआ, जो स्विच ऑफ था व मु0–520/–रू0 नगद बरामद हुये। छठे व्यक्ति ने अपना नाम अंगरेज सिंह बताया, जिसकी जामातलाशी से मु0–500/–रू0 नगद बरामद हुये। कार की तलाशी से चालक सीट के बगल में हैण्ड ब्रेक के ऊपर रखा हुआ एक अदद काला बैग बरामद हुआ, जिसको पारस ने कार से निकाला और खोलकर देखा गया तो बैग में पहने हुये कपड़ो के अलावा कपड़ों के नीचे प्लास्टिक की पन्नी के अन्दर दो पैकेट मिले, जिनके बारे में क्षेत्राधिकारी द्वारा पूॅछा गया तो सभी ने बताया कि इन दोनों पैकेटों में अफीम है, जिसे वे लोग पलिया बेचने ले जा रहे थे। पकड़े गये सभी व्यक्तियों से बरामद माल के श्रोत/लाइसेंस के संबंध में कड़ाई से पूॅछा गया तो दिखाने से कासिर रहे तथा बताये कि साहब वे लोग अनाधिकृत रूप से अफीम बेचकर जीवकोपार्जन करते हैं, जिसे नेपाल राष्ट्र से चोरी छिपे अफीम बेचने वाले

नेपाली लोगों से खरीदकर लाते हैं, उनका नाम, पता उन लोगों को नहीं मालुम है। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये समय करीब 04:05 बजे हिरासत व कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदशुदा अफीम दो पैकेट के वजन हेतु कॉ0 प्रशान्त तेवतिया से इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाया गया, तौल करने पर उक्त पैकटों में एक पैकेट का वजन 1.986 किलोग्राम व दूसरे पैकेट का वजन 1.038 किग्रा0 कुल वजन 3.024 किग्रा0 है। बरामद अफीक को सफेद रंग के कपड़े में रखकर अलग–अलग सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। अभियुक्तगण से बरामद मोबाइल व रूपयों को अलग–अलग सफेद कागज में रखकर चिट बन्दी की गयी। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त पारस सिंह के पास से एक मोबाइल मोटोरोला दूसरा मोबाइल टेक्नो कोवा व 500 रूपये बरामद हुये व प्रार्थी/अभियुक्त देवेन्दर सिंह के पास से एक आईफोन स्विच ऑफ व 520/–रू0 बरामद हुये तथा सारज सिंह के पास से दो मोबाइल सैमसंग की बरामदगी दिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त कोई संदिग्ध वस्तु गिरफ्तारी के समय जामातलाशी में प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से बरामद नहीं हुयी है। क्षेत्राधिकारी निघासन के आने के पहले जामातलाशी एवं कार तलाशी हेतु सहमति पत्र तैयार कर सभी के हस्ताक्षर कराये गये और आगे बताया गया कि क्षेत्राधिकारी के आने तक कार को घेरकर रखा, इससे ऐसा लगता है कि सहमति पत्र बाद में तैयार किया गया। रात 03:52 बजे की घटना बतायी जाती है, रात में कॉ0 प्रशान्त तेवतिया से इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाया गया, किसका तराजू था, कहॉ से लाया गया, उसी तराजू वाले को गवाह बनाया जा सकता था, उपर्युक्त बातों का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख न किया जाना सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अफीम पलिया बेचना कहा गया है और नैपाल राष्ट्र के नेपाली लोगों से अफीम लाना कहा गया है, न अफीम खरीदने वालों का नाम, पता, न बेचने वालों का नाम पता होना, सम्पूर्ण कथानक को संदिग्ध बना देता है। बरामदशुदा अफीम में से जॉच के लिए नमूना भी नहीं निकाला गया है इस कारण इस स्तर पर यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि वह अफीम ही है। तथाकथित अफीम, जिस बैग से बरामद की गयी, उसमें कपड़ों का होना भी कहा जाता है किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार न बैग की फर्द बनायी गयी है और न ही कपड़ों की फर्द बनायी। उक्त बैग व उसमें से बरामद कपड़ों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मौन है, जिससे लगता है कि अभियोजन कथानक संदिग्ध है। कॉ0 सुरेन्द्र दुबे को पैन ड्राइव कितने बजे दी

गयी और वह थाने कितने बजे पहुॅचे और थाने से कितने बजे वापस मौके पर आये, इसका कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। कॉ0 प्रशान्त तेवतिया नावक्त होने के बावजूद इलेक्ट्रानिक तराजू कहॉ से लाये, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके अलावा परिवार का भरण–पोषण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति परिवार में नहीं हैं। उपरोक्त आधारों पर अर्न्तकालीन मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण की संयुक्त बरामदगी से 3.024 किग्रा0 अफीम बरामद किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली में उपलब्ध तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि दिनॉक–03.06.2026, को प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण सहित कुल छः अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कार की तलाशी से चालक सीट के बगल में हैण्ड ब्रेक के ऊपर रखे हुऐ बैग में कुल लगभग 03.024 किग्रा0 अफीम बरामद किया जाना दर्शित है, परन्तु बरामद अफीम में से जॉच हेतु नमूना निकाला गया हो, ऐसा कुछ फर्द बरामदगी में अंकित नहीं है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्तगण से सहमति पत्र लिखवाने के बाद मौके पर क्षेत्राधिकारी को बुलाया गया, जिससे प्रथमदृष्टया यही विदित होता है कि धारा–50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अनुपालन नियमानुसार नहीं किया गया है। कार में से बरामद बैग की भी फर्द नहीं बनायी गयी है। प्रश्नगत बरामद अफीम किसी भी अभियुक्त के व्यक्तिगत कब्जे से बरामद होना नहीं कहा गया है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनॉक–03.06.2026, से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण पारस सिंह, देवेन्दर सिंह तथा सारज सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को मु0–1,00,000–1,00,000/–रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1– प्रार्थी/अभियुक्तगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेंगे।

2–प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

3– प्रार्थी/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेंगे।

4–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थीगण के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनॉक–20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.29 19:54:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court